न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 70 / 2025	2025 / 235	05.02.2025	18.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) कठूमर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री प्रभातीराम जाति मीना निवासी नाटोज तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02—श्री मोहर सिंह मीणा —वकील अप्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार कठूमर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम नूनीया तहसील कठूमर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र श्री प्रभातीराम जाति मीना निवासी नाटोज तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 के नाम ग्राम नूनीया तहसील कठूमर जिला अलवर राज० में खसरा नम्बर साबिक 85 रकबा 01 बीघा 13 बीस्वा भूमि गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 दर्ज है।

ग्राम नूनीया में हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 दिंनाक 15.02.1984 को गैर सायल को आवंटित हुई थी। वर्तमान में जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 से लागातार खाता संख्या 322 पर गैर खातेदारी दर्ज रिर्कोड है। ग्राम नूनीया मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार साबिक 85 मिन रकबा 1.13 बीघा के हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 बना है।

आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 85 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नूनीया तहसील कठूमर मिन अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र प्रभातीराम जाति मीना को दिनांक 15.02.1984 को आवंटित हुई थी और कब्जा दिया गया था जिसका इन्द्राज भी जमाबन्दी आदि में हो रहा है। उक्त आराजी गैर खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 85 दिनांक 15.02.1984 को गैरसायल को सही प्रकार से आवंटित की गई है। जिसके हाल खसरा नंबर 85 रकबा 0.42 है0 है। उक्त आराजी का आवंटन सही प्रकार से मिन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है; आवंटन कि बाद मिन गैरसायल बीमार हो गया था और काश्त करने में असमर्थ रहा इसलिए उक्त आराजी काश्त करने के लिए बटाई पर दे दी थी। अब उक्त आराजी पर कब्जा गैरसायल का ही चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने दिनांक 13.11.2024 को गलत रिपोर्ट पेश की है, आज भी उक्त आराजी पर गैर सायल का ही कब्जा है व काश्त करता आ रहा है। इसलिए उक्त आवंटन किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं है। तहसीलदार कठूमर ने उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए गलत तरीके से यह प्रार्थना —पत्र पेश कि है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आवंटन आदेश निरस्त न किया जावे व आवंटन आदेश बहाल रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी। विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र श्री प्रभातीराम जाति मीना को कृषि कार्य हेतु किया गया था, परन्तु

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

पटवारी हल्का बसेठ की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी/आवंटी का कोई कब्जा नहीं है और न ही उन्होंने भूमि पर कोई कृषि कार्य (काश्त) किया है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का बसेठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 के अनुसार विवादित हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 भूमि वाके ग्राम नूनीया मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम नूनीया, तहसील कठूमर जिला अलवर स्थित हाल आराजी खसरा न0 85 रकबा 0.42 है0 भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थी/आवंटी (बाबूलाल पुत्र प्रभातीराम) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थी के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)